संख्या 02/2019/ एनजीओ/सीपी11/84-2- 2019-सीपी16/ 2003 टी.सी.-5

प्रेषक

अखंड प्रताप सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग
7- वाला कदर रोड, लखनऊ

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 5 मार्च 2019

विषय- उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-27/ 2015/ एन.जी.ओ./27/ 84-2-2015-सी.पी 16 / 2003 दिनांक 1-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 2 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि रुपए 1.00-1.00 लाख अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । तदनुक्रम श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान, ग्राम व पोस्ट पिंडी, देवरिया द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए जाने एवं इसके उपयोग की पुष्टि नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान विभाग/ जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा किए जाने के दृष्टिगत उक्त संस्था को द्वितीय किस्त के रूप में रुपए 1.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त स्वैच्छिक संगठन को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से द्वितीय किस्त की धनराशि रुपए 1.00 लाख शासनादेश संख्या सीपी-1004/29-8-2004-सीपी16/ 2003 दिनांक 13-10-2006 के साथ संलग्न मार्गदर्शक सिद्धांत दिनांक 25 सितंबर 2006 केप्रस्तर-7 की व्यवस्थानुसार 15 दिनों के भीतरअवमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

3- अनुदान की उक्त धनराशि का दुरुपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों/ नीति में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही धनराशि का व्यय/ सदुपयोग किया जाएगा ।

भवदीय

(अखंड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 2/2019/ एनजीओ/सी.पी 11(1)/84-2-2019 सीपी 16/2003टी.सी-5.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1)महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

(2)जिला अधिकारी, देवरिया ।

(3)जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया ।

(4)वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(5)गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव

संख्या- 2 / 2019/ एनजीओ /सी.पी 11(2)/ 84-2-2019 सी.पी 16/ 2003 टी सी-5 तद दिनांक

प्रतिलिपि श्री नित्यानंद शर्मा, सचिव, श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान, ग्राम व पोस्ट पिंडी, जनपद देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्वीकृत धनराशि में सेद्वितीय किस्त की धनराशि प्राप्त हो जाने के 3 माह के भीतर शासनादेश संख्या सीपी-776/ 84 -2-2008 सी.पी.16/ 2003 दिनांक 17 सितंबर 2008 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर(4) में निर्धारित फांट के अनुसार धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रमाण सहित शपथ पत्र के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएं ।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।